

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 324] No. 324] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2013/आषाढ़ 12, 1935

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2013/ASHADHA 12, 1935

# पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2013

सा.का.नि. 452(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पठित उप—धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित व्यक्ति को एतदद्वारा कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.3.2014 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :—

## तालिका

श्री कर्षणदास हीराभाई सोनेरी,	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1) (ग) (i)
प्लॉट नं0 821, सेक्टर—6सी,	7 के अंतर्गत यथा परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
गांधीनगर,	
गुजरात	

2. उक्त अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा.सं. एलबी–11013/8/2012–एल] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

2925 GI/2013 (1)

## **MINISTRY OF SHIPPING**

(PORTS WING)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2013

**G.S.R. 452(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub- section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the person mentioned in the table below, to be a trustee on the Board of Kandla Port Trust up to 31.3.2014:—

# **TABLE**

Shri Karsandas Hirabhai Soneri, Plot No. 821, Sector – 6C,	Representing Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of Major Port
Gandhinagar,	Trusts Act, 1963
Gujarat	,

2. The said appointment shall come into effect from the date of publication of the Notification in the Gazette of India.

[F.No. LB-11013/8/2012-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.